न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी R 1354-II-17

399

द्वारा श्री ... आज दि. 11-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11-5-17

जगन्नाथ पुत्र वेदू ब्राहमण निवासी ग्राम वघौराकलॉ तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

———आवेदक

बनाम

1. हरिओम } पुत्रगण
2. दिनेश } रघुवर ब्राह्मण
3. रेखा } पुत्रीगण
4. भूरी } रघुवर ब्राह्मण
5. ऊषा }
6. शकुन्तला वेवा रघुवर ब्राह्मण
7. रामचरण } पुत्रगण
8. वासुदेव } वद्री ब्राह्मण
9. वनवारी }
10. त्रिवेनी } पुत्रीगण
11. शारदा } वद्री ब्राह्मण
12. रामश्री }
13. अखिलेश पुत्र रामचरण ब्राह्मण

रामेश्वर पुत्र वेदू फोत वारिसान –

14. भरत } पुत्रगण
15. मुन्ना } रामेश्वर ब्राह्मण
16. रामविलास }
17. सरनदेई } पुत्रीगण
18. पुष्पा } रामेश्वर ब्राह्मण
19. कल्पना }
20. रामकटोरी वेवा रामेश्वर ब्राह्मण

लक्ष्मी पुत्री वेदू फोत वारिसान –

21. कामता } पुत्रगण
22. नत्थी } लक्ष्मी ब्राह्मण
23. मुन्नी } पुत्रीगण
24. गुड्डी } लक्ष्मी ब्राह्मण

समस्त निवासीगण ग्राम वघौराकलॉ तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

———अनावेदकगण

2

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. जौरा जिला मुरैना के प्र.क. 16/16–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, ग्राम वघौराकलॉ तह. जौरा जिला मुरैना के भूमि खाता क. 207/2066 कुल किता 18 कुल रकवा 9.01 हेक्टर में से हिस्सा 1/2 एवं खाता क. 228/2066 कुल किता 6 कुल करवा 4.920 हेक्टर में से हिस्सा 4/10 के आवेदक सहस्वामी है। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत एवं पटवारी मौजा के समक्ष अविवादित होने से सहमति के आधार पर संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर पंजी क. 03 दिनांक 14.09.2010 पंचायत ठहराव प्रस्ताव कमांक 15 दिनांक 02.10.2010 से सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क. 1 लगायत 6 द्वारा अनु.वि.अधि. जौरा जिला मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसका प्र.क. 16/2016–17/अपील पर पंजीवद्ध किया जा कर अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सुनवाई की जा कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र आदेश दिनांक 13.04.2017 से बिना अभिलेख तलब किये तथा सह कृषकों को सूचना पत्र जारी किये स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी समयावधि में निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधाान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा न्याय के मान्य सिद्धांतों के विपरीत एवं प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश फांइडिंग रहित एवं परवस तथा आवेदक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देस्य से पारित किया है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्तनीय है।

3. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया कि, अधीनस्थ

XXIX(a)-BR(H)-11

(399)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1354-दो/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	